

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, (फैजाबाद) अयोध्या।

सार्वजनिक नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित राजकीय वाहन एम्बेसडर कार, जो पेट्रोल चालित है तथा जिला न्यायाधीश के आवासीय परिसर में खड़ी है, की नीलामी दिनांक 23.01.2026 को अपरान्ह 4.30 बजे 24 कक्षीय न्यायालय भवन के भू-तल के सभागार में नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, अयोध्या द्वारा की जायेगी। नीलामी किये जाने वाली, राजकीय वाहनों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र० सं०	वाहन पंजियन संख्या	वाहन का प्रकार	इंजन संख्या	चैसिस संख्या	कय करने का वर्ष	कुल तय की गयी दूरी
1	UP42 B6840	AMBASSADOR CAR	3BLHV O42515	AHV746208	1996	82593
2	UP42AG0015	AMBASSADOR CAR	3ELJD 081564	AJD881553	2004	100462

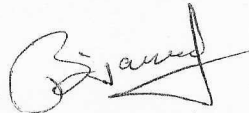
उक्त एम्बेसडर कारों की नीलामी की शर्तों निम्न प्रकार है:-

1. जो इच्छुक व्यक्ति बोली बोलना चाहेंगे उन्हें अंकन रुपया 10,000/- नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो जनपद न्यायाधीश, अयोध्या के नाम होगा, प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
2. नीलामी के इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त वाहनों की नीलामी हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अयोध्या के संस्तुति पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर की बोली बोलनी होगी।
3. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली समाप्त होते ही स्वीकृत बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि बोली स्थल पर ही नगद जमा करनी होगी तथा अवशेष धनराशि बोली का अनुमोदन होने के उपरान्त अन्दर तीन दिन में जमा करनी होगी।
4. यदि उच्चतम बोलीदाता अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि बोली के तुरन्त बाद जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गयी धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी तथा उससे कम बोली बोलने वाले की अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी।
5. नीलामी स्वीकृत होने व समस्त धनराशि जमा होने पर तथा समस्त औपचारिकतायें बोलीकर्ता द्वारा पूर्ण करने के पश्चात उसे वाहन की डिलीवरी दी जायेगी।
6. इच्छुक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य दिवस में जिला न्यायाधीश, अयोध्या के आवासीय परिसर में निष्प्रयोज्य खड़ी वाहनो का निरीक्षण नजारत अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी के माध्यम से किया जा सकता है। वाहन जैसा है, जहाँ है, वैसा ही नीलाम किया जावेगा। यदि इच्छुक व्यक्ति कोई अन्य जानकारी चाहता है तो वह किसी भी कार्य दिवस में प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, अयोध्या से सम्पर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकते

है।

7. नीलाम क्रेता को नीलामी सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।
8. नीलामी समिति/जनपद न्यायाधीश,अयोध्या को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये स्वीकृत बोली/बोलियों को निरस्त कर सकते हैं।

नामित सदस्य
सदस्य,नीलामी समिति
आर0टी0ओ0
अयोध्या।

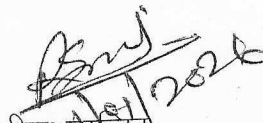

(बलराम दास)
सदस्य,नीलामी समिति
ए0सी0जे0एम0-तृतीय
अयोध्या।


(प्रदीप कुमार सिंह-प्रथम)
अध्यक्ष,नीलामी समिति
अपर जिला जज एफ0टी0सी0-प्रथम
अयोध्या।

संख्या: 01 फ़ैजाबाद-अयोध्या(नजारत)/ दिनांक 01/01/2026 ई0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश,फ़ैजाबाद।
2. नोडल ऑफ़ीसर कम्प्यूटर्स को इस आशय से प्रेषित कि वे माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय,फ़ैजाबाद की वेबसाइट पर नीलामी सूचना अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. आयुक्त,फ़ैजाबाद मण्डल,फ़ैजाबाद।
4. जिलाधिकारी,फ़ैजाबाद।
5. नगर आयुक्त,नगर निगम,फ़ैजाबाद।
6. अध्यक्ष, जिला परिषद,फ़ैजाबाद।
7. नोटिस बोर्ड, नजारत अनुभाग,जनपद न्यायालय,फ़ैजाबाद।
8. सम्पादक,दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ।
9. जिला सूचना अधिकारी,फ़ैजाबाद को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन द्वारा प्रसार -प्रचार करने हेतु।
10. प्रभारी अधिकारी नजारत,जनपद न्यायालय,फ़ैजाबाद।
11. केन्द्रीय नाजिर,जनपद न्यायालय,फ़ैजाबाद।
12. सम्बन्धित पत्रावली।


केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय,फ़ैजाबाद।